निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1932 (श0)

(सं0 पटना 614) पटना, बुधवार, 25 अगस्त 2010

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

20 अगस्त 2010

सं0 वि.प.वि.-40/2009-2255(3)वि.प.—सामाजिक आचरण तथा नीतियों से सदैव परिपूर्ण एवं सक्रिय बिहार विधान परिषद् के सदस्यों के आचरण एवं नैतिक व्यवहारों के निरीक्षण तथा सदस्यों द्वारा किए गए नैतिक एवं अन्य दुर्व्यवहारों से संबंधित सौंपी गयी शिकायतों की जांच कर अनुशंसाएं करने के उद्देश्य से माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् ने परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 65 एवं तत्संबंधी उपबन्धों का प्रयोग करते हुए आचार समिति का गठन करने की कृपा की है।

तत्काल इस समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यगण निम्नवत होंगे :

1. प्रो0 अरूण कुमार – अध्यक्ष
2. डा0 मो0 तनवीर हसन – सदस्य
3. श्री केदार नाथ पाण्डेय – सदस्य
4. श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह – सदस्य
5. श्री संजय कुमार सिंह – सदस्य
6. डा0 भीम सिंह – सदस्य
7. श्री राजेन्द्र राय – सदस्य

समिति की गणपूर्ति : समिति की गणपूर्ति चार सदस्यों की होगी।

समिति का कार्यकाल : समिति अगले आदेश तक कार्यरत रहेगी।

समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे यथा :

1. (क) सदस्यों के बीच सदाचार एवं व्यवहार का पर्यवेक्षण करना ।

(ख) सदस्यों के अनपेक्षित एवं अमर्यादित व्यवहार एवं उनके संसदीय आचरण से संबंधित सौंपी गयी प्रत्येक शिकायत की जांच करना तथा आवश्यक अनुशंसाएं देना ।

(ग) सदस्यों के कथित आचरण एवं दुराचरणों से संबंधित मामलों में दंड एवं शास्ति से संबंधित विधियों से सुसंगत नियम बनाना ।

2. (क) समिति सदस्यों के आचार तथा व्यवहार से संबंधित मामलों में विशिष्ट अनुरोध पर अथवा स्वत: संज्ञान ले सकेगी और सभापति की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही जांच एवं निर्णय की प्रक्रिया अपनायेगी।

(ख) समिति सदस्यों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन किये जाने की जांच कर सकेगी ।

(ग) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी सभापति किसी सदस्य के शील विरुद्ध, दुराचार तथा कदाचार से संबंधित प्रश्न को जांच, अन्वेषण और प्रतिवेदन देने के लिए समिति को दे सकते हैं ।

3. सदस्यों के शील विरूद्ध आचरण और अन्य दुराचरणों की जांच के संबंध में समिति द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जैसी प्रक्रिया जांच और निर्णय हेतु परिषद् की विशेषाधिकार समिति द्वारा सदन या किसी सदस्य के विशेषाधिकार के संबंध में अपनाई जाती है ।

4. आचार समिति के प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापन के पश्चात वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन, विचार-विमर्श तथा प्राथमिकता के संदर्भ में बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमावली के नियम – 243, 244 एवं 245 तथा तत्संबंधी उपबंधों के अधीन अपनाई जाती है ।

5. समिति सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करेगी यथा-

(क) सदन के भीतर सदस्यों के लिए आचार संहिता

(ख) सदन में सदस्यों द्वारा करणीय और अकरणीय कृत्यों से संबंधित आचार संहिता

(ग) विधान मंडल की सह समवेत बैठकों में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदस्यों के लिए आचार संहिता

(घ) समिति की अध्ययन यात्रा के दौरान सदस्यों के लिए आचार संहिता

(ड़) समिति की बैठकों में सदस्यों के लिए आचार संहिता

(च) शिष्टमंडलों के साथ वार्ता के दौरान सदस्यों के लिए आचार संहिता

(छ) सदन के बाहर सदस्यों के लिए आचार संहिता

(ज) आचार संबंधी सिद्धांत

(झ) सामान्य आचार संहिता

6. आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में शिकायतों के निष्पादन के लिए समिति प्रक्रिया एवं दंड के प्रावधान का निर्माण करेगी।

7. समिति अपने कृत्यों को आंशिक या विशद् रूप से संशोधित कर सकेगी और ऐसे संशोधन को अनुमोदन के लिए सभापति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।। सभापति द्वारा यथा अनुमोदित संशोधन प्रभावी माना जायेगा।

<u>साक्ष्य लेने या पत्र, अभिलेख अथवा दस्तावेज मांगने की शक्ति</u>

8. (क) समिति अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा पत्र या अभिलेख प्रस्तुत कराना आवश्यक समझे तो ऐसा करने की शक्ति उसको होगी, किन्तु जब कभी ऐसा प्रश्न उपस्थित हो कि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों का साक्ष्य या प्रलेख की प्रस्तुति समिति के प्रयोजनों के लिए आवश्यक और प्रासंगिक है तो यह विषय सभापति के पास भेजा जायेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा।

(ख) समिति किसी साक्षी को बुला सकती है और उससे ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करा सकती है जो समिति के प्रयोजनों के लिए आवश्यक और अपेक्षित हो।

(ग) समिति स्वविवेक से यह निर्णय लेगी कि उसके सामने दिये गये मौखिक साक्ष्य और दस्तावेज गोपनीय रहेंगे अथवा नहीं।

9. समिति की बैठकें सामान्यत: गोपनीय होंगी और बंद कमरे में आयोजित की जायेंगी।

<u>दंड</u>

10. समिति यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी सदस्य द्वारा शील विरूद्ध अनैतिक आचरण अथवा कोई कदाचारपूर्ण कार्य किया गया है या संहिता/नियमों का उल्लंघन किया गया है तो समिति निम्नलिखित दंडों में से एक या एकाधिक दंड की अनुशंसा कर सकेगी :-

(क) निन्दा ;

(ख) भर्त्सना ;

(ग) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सदन से निलंबन ; और

(घ) समिति द्वारा उचित समझा गया कोई अन्य दंड।

11. सभापति समिति या सदन के सदस्यों के शील विरूद्ध कदाचार के मामलों की जांच से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए ऐसे निदेश दे सकते हैं, जैसा आवश्यक समझें ।

12. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी सभापति सदस्य के शील, सदाचार अथवा अन्य दुराचार, कदाचार से संबंधित प्रश्न को जांच अन्वेषण तथा प्रतिवेदन देने के लिए आचार समिति को दे सकते हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

आदेश से,
बाबूलाल अग्रवाल
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 614-571+300-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in